


उत्तर प्रदेश शासन  
गृह (पुलिस) अनुभाग-9  
संख्या-4092/छ:-पु0-9-19-31(103)/2010टी0सी0  
लखनऊ: दिनांक: 18 दिसम्बर, 2019

**अधिसूचना  
(शक्ति)**

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम सं0-2, सन् 1974) की धारा-21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय दिनांक 18 फरवरी, 2020 को प्रारम्भ होने वाली और दिनांक 06 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में तैनात निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे और उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त की जा सकने वाली सभी शक्तियाँ उन्हें प्रदान करते हैं, जिनका प्रयोग वे अपने जनपद की स्थानीय सीमाओं के भीतर कर सकेंगे :-

- 1- समस्त मुख्य राजस्व अधिकारी।
- 2- समस्त विशेष भूमि अर्जन अधिकारी।
- 3- समस्त अपर तहसीलदार।
- 4- समस्त नायब तहसीलदार (जो इस पद पर पांच वर्ष या उससे अधिक समय तक कार्य कर चुके हों)।
- 5- समस्त संयुक्त निदेशक, चकबन्दी।
- 6- समस्त उप निदेशक, चकबन्दी।
- 7- समस्त सहायक निदेशक, चकबन्दी।
- 8- समस्त बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी।
- 9- समस्त चकबन्दी अधिकारी।
- 10- समस्त सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
- 11- समस्त अधिशाषी अभियन्ता, लघु सिंचाई।
- 12- समस्त सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई।
- 13- समस्त अभियन्ता, जिला परिषद।
- 14- समस्त सहायक अभियन्ता, विकास प्राधिकरण।
- 15- समस्त संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग।
- 16- समस्त उप निदेशक, शिक्षा विभाग।
- 17- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक।
- 18- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
- 19- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज।
- 20- समस्त लेखाधिकारी, (जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय)।
- 21- समस्त सह जिला विद्यालय निरीक्षक।
- 22- समस्त उप विद्यालय निरीक्षक।
- 23- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय जूनियर ट्रेनिंग कालेज।
- 24- समस्त सहायक वन संरक्षक और अरण्यपाल।
- 25- समस्त उप प्रभारी वनाधिकारी।
- 26- समस्त व्यापार कर अधिकारी और व्यापार कर अधिकारी श्रेणी-दो।
- 27- समस्त मुख्य उप निबन्धक, रजिस्ट्रेशन विभाग।
- 28- समस्त संयुक्त उप निबन्धक, रजिस्ट्रेशन विभाग।
- 29- समस्त उप निबन्धक, रजिस्ट्रेशन विभाग।
- 30- समस्त उप निदेशक, कृषि विभाग।
- 31- समस्त उप निदेशक, भूमि संरक्षण।

- 32- समस्त जिला कृषि अधिकारी ।
- 33- समस्त जिला कृषि अधिकारी (दलहन) ।
- 34- समस्त जिला कृषि एवं परियोजना अधिकारी ।
- 35- समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी ।
- 36- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय कृषि महाविद्यालय ।
- 37- समस्त जिला उद्यान अधिकारी ।
- 38- समस्त अधीक्षक, राजकीय उद्यान ।
- 39- समस्त उप निदेशक, पशुधन विभाग ।
- 40- समस्त जिला पशुधन अधिकारी ।
- 41- समस्त जिला विकास अधिकारी ।
- 42- समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण) ।
- 43- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद ।
- 44- समस्त खण्ड विकास अधिकारी ।
- 45- समस्त प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी ।
- 46- समस्त प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान ।
- 47- समस्त जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी ।
- 48- समस्त जिला अर्थ अधिकारी ।
- 49- समस्त जिला संख्या अधिकारी ।
- 50- समस्त उप निबन्धक, सहकारिता विभाग ।
- 51- समस्त सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां ।
- 52- समस्त जिला दुग्ध अधिकारी ।
- 53- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी ।
- 54- समस्त जिला अल्प बचत अधिकारी ।
- 55- समस्त जिला पूर्ति अधिकारी ।
- 56- समस्त एरिया राशनिंग अधिकारी ।
- 57- समस्त प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र ।
- 58- समस्त निबन्धक, ग्रामोद्योग विभाग ।
- 59- समस्त जिला सूचना अधिकारी ।
- 60- समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी ।
- 61- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी ।
- 62- समस्त जिला लेखा सम्परीक्षा अधिकारी ।
- 63- समस्त जिला गन्ना अधिकारी ।
- 64- समस्त सम्भागीय विपणन अधिकारी ।
- 65- समस्त उप आबकारी आयुक्त ।
- 66- समस्त सहायक आबकारी आयुक्त ।
- 67- समस्त जिला आबकारी अधिकारी ।
- 68- समस्त सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अल्प बचत ।

  
(भगवाम स्वरूप)  
सचिव । A

संख्या-4092 (1)/छ:-पु0-9-2018 तददिनांक-

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को अधिसूचना को गजट के आगामी अंक के भाग-4, खण्ड-'ख' में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से  
Vsh  
(वीरेन्द्र सिंह)  
अनु सचिव।<sup>h</sup>

संख्या-4092 (2)/छ:-पु0-9-2018 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
- (2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (3) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके अर्द्ध शा0पत्र संख्या-मा0शि0प0/केन्द्र स्थापना/डी0ई0/22, दिनांक 09.01.2019 के सन्दर्भ में।
- (4) समस्त जिला मजिस्ट्रेट-उ0प्र0 को इस अभ्युक्ति के साथ कि उपर्युक्त अधिसूचना में उल्लिखित अधिकारियों की सेवाओं का प्रयोग वे कृपया आवश्यकतानुसार अपने विवेक से करने का कष्ट करें।
- (5) सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- (6) नियुक्ति अनु0-2 व 3
- (7) शिक्षा अनुभाग-7
- (8) प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।
- (9) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से  
Vsh  
(वीरेन्द्र सिंह)  
अनु सचिव।<sup>h</sup>

dh  
5/1/19  
B  
05/1/2019